

## ज्वाइंट डेटा प्रॉसेसिंग पर जानकारी

### “केयर एवं असिस्टेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम”

जेनरल डेटा प्रॉटेक्शन रेगुलेशन (DSGVO) के अनुच्छेद 13 तथा 14 के अनुरूप

कंट्रोलर के नाम तथा संपर्क विवरण:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (इमिग्रेशन व असाइलम का फेडरल ऑफिस)

Modecenterstraße 22, 1030 Wien

फोन: +43- 59 133 98 7004

फैक्स: +43- 59 133 98 7399

फैक्स: [BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at](mailto:BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at)

डेटा प्रॉटेक्शन ऑफिसर के संपर्क विवरण:

फोन: +43- 59 133 98 - 0

ईमेल: [BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at](mailto:BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at)

प्रॉसेसिंग का उद्देश्य जिसके लिए निजी डेटा लक्षित होते हैं:

व्यक्तियों के निजी डेटा की संयुक्त प्रॉसेसिंग की देखभाल इमिग्रेशन व असाइलम के फेडरल ऑफिस, बेसिक केयर व सर्विसेज अग्रीमेंट व फेडरल मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर के अनुच्छेद 2, पैराग्राफ 1 के अनुरूप परदेशियों की देखभाल के लिए नियुक्त प्रांतीय कार्यालयों द्वारा किया जाए

प्रॉसेसिंग के लिए कानूनी आधार:

फेडरल कंस्टिट्यूशन ऐक्ट (B-VG) के अनुच्छेद 15a के अनुरूप बेसिक केयर एंड सर्विसेज अग्रीमेंट के संयोजन के साथ असाइलम सीकर्स तथा अन्य एलिजिबल एलिगेंस को बेसिक केयर व सर्विसेस प्रदान करने से जुड़े फेडरल ऐक्ट 2005 (GVG-B 2005) का अनुच्छेद 8

वह अवधि जिसके लिए निजी डेटा को भंडारित किया जाएगा:

बेसिक केयर और सर्विसेज के प्रावधान के समाप्त हो जाने के दो वर्षों के बाद डेटा डिलीट कर दिए जाते हैं, बशर्ते कि यह किसी लंबित कार्यवाहियों के लिए या बेसिक केयर एंड सर्विसेज अग्रीमेंट के अनुच्छेद 11 के अनुरूप निपटारे उद्देश्य के लिए इस बिंदु पर आवश्यक न हो।

## निजी डेटा के प्राप्तकर्ताओं की श्रेणियां:

मानवीय, गिरिजा-घर संबंधित या निजी संस्थान जैसे कि नियुक्त फेडरेशन या फेडरल प्रोविंसों का नियुक्त किए गए कानूनी निकाय; मींस-टेस्टेड न्यूनतम लाभों के प्रावधानों के लिए जिम्मेदार संस्थान: पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑस्ट्रिया (AMS); सामाजिक सुरक्षा संस्थान; वित्तीय प्राधिकार: स्वास्थ्य प्राधिकार के रूप में प्रशासनिक जिला प्राधिकार; सुरक्षा प्राधिकार; युवा कल्याण प्राधिकार; ऑस्ट्रियन इंटीग्रेशन फंड; ऑस्ट्रिया में रिफ्यूजीज के लिए यूएन हाई कमिशनर का कार्यालय; विदेशी आप्रवासन तथा असाइलम प्राधिकार; ठहरने का स्थान प्रदाता जो संगठनों (बुनियादी देखभाल व सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त) के लिए काम करेंगे; नियुक्त परिवहन कंपनियां जो सहारे व सुरक्षा की जरूरत रखने वाली उन परदेशियों की दुलाई करती हों, जो सहारे (असाइलम सीकर्स, असाइलम के लिए योग्य व्यक्ति, विस्थापित व्यक्ति तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो कानूनी या वास्तविक कारणों से प्रत्यर्पित नहीं किए जा सकते) के लिए योग्यता रखते हैं; ई-गवर्नमेंट ऐक्ट में निर्धारित योग्यताओं के भीतर सोर्सपिन रजिस्टर ऑथोरिटी; स्टैटिस्टिक्स ऑस्ट्रिया

(DSGVO के अनुच्छेद 4, आइटम 8 में वर्णित अनुसार, क्रमशः डेटा प्रॉटेक्शन ऐक्ट (DSG) के अनुच्छेद 36, सेक्शन 2, आइटम 9 के अनुरूप) प्रॉसेसर्स:

फेडरल मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर; IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.; Microsoft Österreich GmbH; Bundesrechenzentrum GmbH; Atos IT Solutions and Services GmbH

## डेटा के अधिकार इनके अधीन होते हैं:

ऑसिप्टरप्यन डेटा परपॉटेक्शन ऑथोरिटी (1030 Wien, Barichgasse 40-42, फोन +43 1 52 152-0, email [dsb@dsb.gv.at](mailto:dsb@dsb.gv.at)) रू डेटा परपॉटेक्शन ऐक्ट (DSG) के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 24 के अनुरूप शिकायत दर्ज करने का अधिकार लागू होता है।

ऐकप्सेस करने का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 15 रू ववरणत है।

सुधारने का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 16 रू ववरणत है।

रिफ टाने ('भुला दिए जाने का अधिकार') का अधिकार DSGVO के अनुच्छेद 17 रू ववरणत है।

अनुच्छेद 21 DSGVO के अनुरूप आपत्ति करने का अधिकार और DSGVO के अनुच्छेद 18 (असाइलरू सीकर्स तथा अनप्य एलिजिबल एलिगेंस को बेसिक केयर व सवरप्वसेस परप्रदान करने से जुड़ा फेडरल ऐक्ट 2005 (GVG-B) का अनुच्छेद 8, पैराग्राफ 4) के अनुरूप परपॉसेसिंग परपतिबंधित करने का अधिकार लागू नहीं होता।